

दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रशुल्क में कटौती का प्रभाव

*426 डॉ. नामदेव किरसान:

श्री के. सुधाकरन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नीति आयोग के हाल के इस बयान से अवगत है कि प्रशुल्क को बनाए रखना भारत के लिए लाभकारी नहीं है तथा प्रशुल्कों में कटौती किया जाना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार लागू की गई प्रशुल्क कटौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार लागू की गई प्रशुल्क वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रशुल्क कटौतियों का घरेलू विनिर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“प्रशुल्क में कटौती का प्रभाव” के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 426 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) सरकार प्रशुल्क और इनका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव के संबंध में नीति आयोग द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों से अवगत है। यह बयान आर्थिक विकास प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक अधिक आकर्षक प्रतिस्पर्धी बनाने की भारत की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

भारत की प्रशुल्क नीति का उद्देश्य व्यापार को विनियमित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना है। हाल के सुधारों ने प्रशुल्क संरचना को सुव्यवस्थित करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और किसी दिए गए कमोडिटी लाइन पर लागू किए जा सकने वाले इसके अधिकतम प्रशुल्क के लिए बाध्य है। लागू प्रशुल्क आम तौर पर किसी दिए गए कमोडिटी लाइन के लिए बाध्य प्रशुल्क से कम होते हैं।

बदलते व्यापार परिदृश्य के साथ, भारत तरजीही/मुक्त व्यापार समझौतों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पीटीए/एफटीए सदस्यों के बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त किया जाता है। वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ (ईयू), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके), ओमान, न्यूजीलैंड और पेरू के साथ वाताओं के अलावा 13 एफटीए और 9 पीटीए का सदस्य है।

यद्यपि प्रशुल्क को कम करने से, विशेष रूप से निविष्टियों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर, निर्माताओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है, लेकिन प्रशुल्क उपायों पर निर्णय लेते समय घरेलू उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

(ख) और (ग) बजट 2023-24 में सीमा प्रशुल्क संरचना का युक्तिकरण किया गया था जब सीमा प्रशुल्क अधिनियम से मूल सीमा शुल्क दरों के 8 स्लैब हटा दिए गए थे। इसे बजट 2025-26 में जारी रखा गया जिसमें 7 और मूल सीमा शुल्क दरें हटा दी गईं जिससे प्रशुल्क दरों की संख्या 21 से घटकर 8 (शून्य सहित) हो गई। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण संबंधी सरोकारों का समाधान करने या मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में कुछ देशों से सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों में वृद्धि की गई थी। पिछले 3 वर्षों में जिन वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाया और बढ़ाया गया है उनकी सूची <http://www.cbic.gov.in/> पर देखी जा सकती है।

(घ) सरकार ने उलटे शुल्क संरचना को सुधारने के लिए व्यापक प्रशुल्क सुधार शुरू किए हैं, अर्थात् ऐसी स्थिति जहां कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार उत्पादों पर लगाए गए शुल्क से अधिक हो। ऐसे सुधारों को उत्पादन लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, कटौती के बावजूद, कुछ घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उच्च प्रशुल्क की वकालत करते हैं। यह घरेलू विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों का समर्थन करने के लिए प्रशुल्क नीतियों को संतुलित करने की चल रही चुनौती को उजागर करता है।

भारत द्वारा हाल ही में प्रशुल्क में की गई कटौती का इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)/मोबाइल फोन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसमें मार्च 2025 में भारत ने ईवी बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए 28 वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया। इस कदम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इसी तरह, महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क में कमी से इस क्षेत्र में निवेश आने की संभावना है।

संक्षेप में, भारत की प्रशुल्क कटौती का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। जबकि ये उपाय विकास और बढ़े हुए वैश्विक एकीकरण के अवसर प्रदान करते हैं, वहीं बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उभरते बाजार की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए घरेलू उद्योगों के भीतर रणनीतिक समायोजन की भी आवश्यकता होती है।
